[2021] 4 एस. सी. आर. 81

एम. के. रंजीतसिंह और ओआरएस।

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2020 का आई. ए. सं. 85618)

में।

(2019 की लिखित याचिका (सिविल) No.838)

अप्रैल 19,2021

[एस. ए. बोबडे, सीजेआई, ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

पर्यावरण कानूनः वन्यजीव-लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण और संरक्षण-पक्षियों की सुरक्षा के लिए लिखित याचिका

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जी. आई. बी.) और लेसर फ्लोरिकन, कगार पर

विलुप्त होने के बाद से वे ऊपर की बिजली लाइनों के साथ उनकी टक्कर में मारे जा रहे हैं राजस्थान और गुजरात राज्य को निर्देश दिए गए हैं ताकि शिकारी प्रूफ बाड़, घेराव विकास में नियंत्रित चराई सुनिश्चित की जा सके-निर्देश की मांग की गई है कि ऊपर की बिजली लाइनों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाए, आगे के निर्माण की अनुमति दी जाए। पवनचक्की और सौर अवसंरचना की स्थापना प्राथमिकता में और

संभावित आवास-भविष्य की सभी ऊपरी बिजली लाइनों को भूमिगत करने के लिए भी निर्देश की मांग की गई; प्राथमिकता वाले जी. आई. बी. आवास में चयनित बिजली लाइनों और संभावित आवास में डायवर्टर्स की स्थापना-आयोजितः सतत विकास अवधारणा को ध्यान में रखते हुए और एक

संतुलन, पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना है, जबकि एक ही समय में बिजली के संचरण की अनुमति दी जाती है

एक उचित तरीका-कुछ क्षेत्रों में भूमिगत बिजली केबल बिछाना संभव नहीं होगा और पहले से मौजूद केबलों का रूपांतरण भी कुछ स्थानों पर नहीं किया जा सकता है।

स्थानों पर, यह अनुशंसा की जाती है कि मौजूदा बिजली लाइनों पर 'बर्ड डाइवर्टर्स' लगाए जाएं और जहां भी तकनीकी रूप से संभव हो, आवासों के आसपास नई बिजली लाइन को भूमिगत किया जाए-इसके अलावा, पक्षियों की उक्त प्रजातियों के अंडों को संरक्षित किया जाए, उन्हें प्रजनन केंद्रों में स्थानांतरित किया जाए-विशेष रूप से उच्च वोल्टेज की भूमिगत बिजली लाइन बिछाने के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन की आवश्यकता होगी।

उच्च वोल्टेज वाली भूमिगत बिजली लाइन बिछाने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए समिति का गठन किया गया है-इसे देखते हुए सभी कम वोल्टेज वाली बिजली लाइन बिछाई जा सकती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जी. आई. बी. के प्राथमिकता और संभावित आवासों में बिछाई जाने वाली बिजली लाइनों को भविष्य में भूमिगत किया जाएगा और मौजूदा कम वोल्टेज वाली ओवरहेड बिजली लाइनों को भूमिगत बिजली लाइनों में परिवर्तित किया जाएगा-प्राथमिकता और संभावित आवासों में उच्च वोल्टेज वाली बिजली लाइनें।

जी. आई. बी., जैसा कि यहाँ उल्लेख किया गया है, को भूमिगत बिजली लाइन में परिवर्तित किया जाएगा।

टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (2012) 3 एससीसी 277: [2012] 3 एससीआर 460; केंद्र

पर्यावरण कानून के लिए, वर्ल्ड वाइड फंड-भारत बनाम.

भारत संघ और अन्य। (2013) 8 एससीसी 234: [2013] 6

एस. सी. आर. 757-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2012] 3 एससीआर 460

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[2013] 6 एससीआर 757

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः 2020 का आई. ए. सं. 85618

2019 से रिट याचिका (सिविल) संख्या 838।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

श्याम दीवान, प्रशांतो चंद्र सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री सोनिया दुबे,

सुश्री सुगंधा यादव, शतद्रु चक्रवर्ती, सुश्री रिया साहनी, सुश्री सुरभी आनंद, मेसर्स। कानूनी विकल्प, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एएसजी। , सौरभ मिश्रा, एएजी। , डॉ. मनीष

सिंघवी, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, एस. बी. उपाध्याय, एम. जी. रामचंद्रन, रणजी थॉमस, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मेसर्स के लिए गुरमीत सिंह मक्कड़, डी. एल. चिदानंद, अंकुर तलवार, श्याम गोपाल, मिलिंद कुमार, विकास बंसल, सनी चौधरी, अर्जुन गर्ग, वरुण के. चोपड़ा, गुरतेजपाल सिंह। वी. के. सी. विधि कार्यालय, महफूज ए. नाजकी, पोलांकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ, टी. विजय भास्कर रेड्डी, अमिताभ सिन्हा, श्रेय शर्मा, संदीप झा, आदित्य ए. पांडे, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, जियो जोसेफ, महेश अग्रवाल, अर्शित आनंद, योजना मेहरा, सुश्री कामाक्षी सहगल, अमित भंडारी, सुश्री आशिमा चौहान, ई. सी. अग्रवाल, सोमेश चंद्र झा, राहुल नारंग, सुश्री आस्था मेहता, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अनिरुद्ध पी. मयी, सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री रंजीता रामचंद्रन, सुश्री जेसल वाही, वी. एन. रघुपति, शिवी सन्याम, सुश्री प्रतिष्ठा विज, जप्पनप्रीत होरा, ए. कार्तिक, देवेंद्र सिंह, अनंत कुमार वात्स्या, वात्स्या कृष्णैया, सुश्री आरती सिंह, आकाशदीप सिंह रोडा, बसंत पाल सिंह, सुश्री पूजा सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

एम. के. रंजीतसिंह और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. रिट याचिका जनहित की प्रकृति में दायर की गई है जिसमें पक्षियों की दो प्रजातियों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ('जीआईबी') की रक्षा करने की मांग की गई है। संक्षेप में) और लेसर फ्लोरिकन, जो विलुप्त होने के कगार पर है। कहा जाता है कि ऊपरी बिजली लाइनों का अस्तित्व एक खतरा बन गया है जिसके कारण टकराव में पक्षियों की उक्त प्रजातियां मर रही हैं। लंबित रिट याचिका में, आई. ए. No.85618/2020 में आवेदन दायर किया गया है जिसमें राजस्थान राज्य (उत्तरदाता संख्या 5 और 6) और गुजरात राज्य (उत्तरदाता संख्या 9 से 11) को यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम निर्देश देने की मांग की गई है कि

प्रिडेटर प्रूफ फेंसिंग, घेराव विकास में नियंत्रित चराई और उक्त उत्तरदाताओं को ओवरहेड बिजली लाइनों की स्थापना की अनुमति नहीं देने और पवन चक्कियों के आगे निर्माण की अनुमति नहीं देने का निर्देश देना और

प्राथमिकता और संभावित आवास में सौर अवसंरचना की स्थापना

भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा पहचाना गया। याचिकाकर्ता प्रत्यर्थियों को आवेदन में सूचीबद्ध बिजली लाइनों के लिए डायवर्ट स्थापित करने का निर्देश देने की भी मांग कर रहा है।

2. बहुत ही विषय वस्तु इंगित करती है कि हालांकि इस तरह के निर्देश उत्तरदाताओं के खिलाफ मांगे जाते हैं, लेकिन मुकदमेबाजी में प्रतिकूल नहीं है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ओवरहेड बिजली की लाइनें अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। जीआईबी। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू. आई. आई.) ने अपनी रिपोर्ट "पावर लाइन मिटिगेशन, 2018" में कहा है कि हर साल 1 लाख पक्षी बिजली की तारों से टकराने से मर जाते हैं। रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक बिजली लाइन मृत्यु दर को तत्काल कम नहीं किया जाता है, तब तक जीआईबी का विलुप्त होना निश्चित है। थार में भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यू. आई. आई.) द्वारा एक वर्ष में 7 बार किए गए 80 किलोमीटर बिजली लाइनों के सर्वेक्षण में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जी. आई. बी.) सहित लगभग 30 प्रजातियों के 289 शव पाए गए। अध्ययन में कम तनाव वाली रेखाओं के लिए 3 पक्षियों की मृत्यु/किमी/माह, उच्च तनाव वाली रेखाओं के लिए 6 पक्षियों की मृत्यु/किमी/महीने और 4200 वर्ग किलोमीटर के भीतर प्रति वर्ष लगभग 1 लाख पक्षियों की मृत्यु का अनुमान लगाया गया है। रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में/उसके आसपास किमी क्षेत्र। जीआईबी के संदर्भ में, 2017-20 के दौरान थार में 6 मौतें दर्ज की गई हैं, ये सभी उच्च-तनाव संचरण लाइनों के कारण हैं-उनमें से कुछ पवन टरबाइन से जुड़ी हुई हैं।

इसलिए, याचिकाकर्ता भविष्य की सभी ऊपरी बिजली लाइनों को भूमिगत करने की मांग करता है; प्राथमिकता वाले जी. आई. बी. आवास में चयनित बिजली लाइनों और

संभावित आवास में डायवर्टर्स।

3. वास्तव में, इसे बिजली मंत्रालय, भारत संघ द्वारा अपने हलफनामे दिनांक 15.03.2021 में निम्नानुसार स्वीकार किया गया है: -

" ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ("जी. आई. बी".) में सामने की दृष्टि का अभाव है। इसके कारण वे दूर से अपने आगे की बिजली लाइनों का पता नहीं लगा पाते हैं। चूंकि वे भारी पक्षी हैं, इसलिए वे निकट दूरी के भीतर बिजली की तारों को पार करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार, वे बिजली की तारों से टकराने के लिए असुरक्षित हैं। कम वोल्टेज लाइनों के मामले में, बिजली का झटका अक्सर छोटे चरण से चरण पृथक्करण दूरी के कारण मृत्यु का कारण होता है। उच्च वोल्टेज लाइनें करंट लगने से मौत का कारण नहीं बनती हैं। लेकिन टकराव के कारण मृत्यु का कारण बनता है। "

4. लेकिन, यह न्यायालय आई. ए. संख्या पर विचार करते हुए। 1433 और टी. एन. गोडावर्मन तिरुमुलपद बनाम के मामले में 2005 का 1477। संघ का

भारत और ओआरएस। (2012) 3 एस. सी. सी. 277 ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया है:

" 17. पर्यावरण न्याय तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम मानव-केंद्रित के सिद्धांत से पर्यावरण-केंद्रित की ओर बढ़ें। हमारे कई सिद्धांत जैसे सतत विकास, प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत, अंतर-पीढ़ीगत समानता की जड़ें मानव-केंद्रित सिद्धांतों में हैं। एंथ्रोपोसेन्ट्रिज्म हमेशा मानव हित केंद्रित है।

और यह कि गैर-मानव का मनुष्यों के लिए केवल साधन मूल्य है। दूसरे शब्दों में, मनुष्यों के लिए गैर-मानव आधारित लाभों के लिए मनुष्य प्राथमिकता और मानवीय जिम्मेदारियों को लेते हैं। पारिस्थितिकी प्रकृति केंद्रित है जहाँ मनुष्य प्रकृति का हिस्सा हैं और गैर-मनुष्यों का आंतरिक मूल्य है। दूसरे शब्दों में, मानव हित स्वतः प्राथमिकता नहीं लेता है और मानव हित से स्वतंत्र रूप से गैर-मानवों के प्रति मनुष्यों का दायित्व होता है। पारिस्थितिकी केंद्रवाद इसलिए जीवन है।

केंद्रित, प्रकृति-केंद्रित जहाँ प्रकृति में मनुष्य और गैर-मानव दोनों शामिल हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002-2012 और केंद्र प्रायोजित वन्यजीवों का एकीकृत विकास

पर्यावास योजना, 2009 के सिद्धांत पर केंद्रित हैं -

पारिस्थितिक केन्द्रवाद। "

उस संदर्भ में धन की कमी से संबंधित राज्य के तर्क पर ध्यान देते हुए, केंद्र प्रायोजित वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास योजना, 2009 का संदर्भ दिया गया था। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय साझेदारी का प्रावधान करता है।

हालांकि 1. के. रंजीतसिंह और ओआरएस लिया गया। वी. भारत और ओआरएस का संघ।एन जंगली भैंस के संरक्षण के संदर्भ में पैरा-23 में एकेन नोट के वित्तपोषण का पैटर्न जो 100% केंद्रीय सहायता प्रदान करता है।

जी. आई. बी. का परिदृश्य, आवर्ती और गैर-आवर्ती दोनों वस्तुओं के लिए

डीटर।

5. इसके अलावा पर्यावरण केंद्र के मामले में यह न्यायालय

वर्ल्ड वाइड फंड-भारत बनाम भारत संघ और अन्य। , (2013) 8 234 लुप्तप्राय के संरक्षण और संरक्षण पर विचार करते हुए

ईएस ने नीचे के रूप में देखा हैः

" 45. हम यह इंगित कर सकते हैं कि व्यापक-सीमाएँ रही हैं

सतत विकास के सिद्धांतों पर पहले के सम्मेलनों में निर्धारित कुछ सिद्धांतों के पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों और सम्मेलनों पर चर्चा और विचार-विमर्श। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग

"सतत विकास" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः " सतत विकास वह विकास है जो जरूरतों को पूरा करता है।

भविष्य की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान का

पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। (विश्व आयोग

आर्थिक विकास [डब्ल्यू. सी. ई. डी], 1987: 43)

46. सतत विकास, विभिन्न प्रख्यात पर्यावरणविदों द्वारा तर्क दिया गया है, स्पष्ट रूप से एक मानव-केंद्रित पूर्वाग्रह को स्वीकार करता है, जो इस पृथ्वी पर रहने वाली अन्य प्रजातियों के अधिकारों से कम चिंतित है। एंथ्रोपोसेन्ट्रिज्म हमेशा मानव हित केंद्रित सोच है कि गैर-मानव का मनुष्यों के लिए केवल साधन मूल्य है, दूसरे शब्दों में, मनुष्य को प्राथमिकता दी जाती है और गैर-मानव के प्रति मानवीय जिम्मेदारियां मनुष्यों के लिए लाभ पर आधारित होती हैं। पारिस्थितिकी प्रकृति-केंद्रित है, जहाँ मनुष्य प्रकृति का हिस्सा हैं और गैर-मनुष्यों का आंतरिक मूल्य है। दूसरे शब्दों में, मानव हित स्वतः नहीं लेता है

गैर-मनुष्यों के प्रति वरीयता और मनुष्यों के दायित्व हैं

मानव हित से स्वतंत्र। पारिस्थितिकी केंद्रवाद, इसलिए, जीवन है केंद्रित, प्रकृति-केंद्रित जहाँ प्रकृति में मनुष्य और प्रकृति दोनों शामिल हैं।

गैर-मानव "। " 48. भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 न केवल

मानव अधिकार लेकिन विलुप्त होने वाली प्रजाति की रक्षा और संरक्षण के लिए मनुष्यों पर एक दायित्व भी डालता है, पर्यावरण का संरक्षण और संरक्षण जीवन के अधिकार का एक अविभाज्य हिस्सा है। एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ [(1997) 1 एस. सी. सी. 388], इस न्यायालय ने "सार्वजनिक विश्वास" के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो उस सिद्धांत [2021] 4 एस. सी. आर.

यह है कि कुछ सामान्य संपत्तियाँ जैसे कि नदियाँ, समुद्र तट, वन और वायु आम जनता के स्वतंत्र और निर्बाध उपयोग के लिए सरकार के स्वामित्व में हैं। वायु, समुद्र, जल और वन जैसे संसाधनों का समग्र रूप से लोगों के लिए इतना बड़ा महत्व है कि उन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित होगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षक के रूप में राज्य का कर्तव्य है कि वह उन्हें न केवल जनता के लाभ के लिए, बल्कि वनस्पतियों और जीवों के सर्वोत्तम हित के लिए बनाए रखे। जीव-जंतु, वन्यजीव आदि। "सार्वजनिक विश्वास" का सिद्धांत होना चाहिए

उस दृष्टिकोण से संबोधित।

49. मनुष्य के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकें और एक प्रभावी प्रजाति की वकालत करें संरक्षण व्यवस्थाएँ। एन. डब्ल्यू. ए. पी. 2002-2016 और केंद्र प्रायोजित योजना, 2009 इंगित करती है कि कई पशु प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के काफी करीब हैं और कुछ अन्य प्रजातियां इस पृथ्वी से पहले ही गायब हो चुकी हैं। कोई भी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर अनिश्चित काल तक जीवित नहीं रह सकती है और किसी भी प्रजाति का निरंतर अस्तित्व मानव-पशु जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

संघर्ष, महामारी, जंगल की आग और अन्य प्राकृतिक आपदाएँ, आदि।

इसलिए लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए राज्य के साथ-साथ केंद्र सरकार का भी कर्तव्य है और इस तरह से किए गए खर्च को या तो उपलब्ध योजनाओं के तहत या इस तरह से निर्धारित करके उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि तत्काल मामले में संरक्षण भूमिगत है

बिजली लाइनों और उस संदर्भ में यदि लागत खर्च की जाती है, तो यह भी होगा सक्षम नियामक प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन ऐसे खर्चों का एक हिस्सा अंतिम उपभोक्ता को देने की अनुमति।

6. हालांकि उत्तरदाता इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील हैं, उन्होंने तर्क दिया है कि उच्च वोल्टेज वाली लाइनें बिजली के झटके के कारण जी. आई. बी. की मौत का कारण नहीं बनती हैं, बल्कि टक्कर के कारण मौत का कारण बनती हैं। यह तर्क दिया जाता है कि भूमिगत उच्च-वोल्टेज लाइन कई कारणों से तकनीकी रूप से संभव नहीं है। कारक जैसे (i) उच्च लागत (ii) किसी भी विफल केबल की मरम्मत के लिए उच्च डाउनटाइम (iii) 765 केवी स्तर पर केबलों की अनुपलब्धता और (iv) लागत में वृद्धि।

दौड़ की लंबाई के साथ जोड़ों की संख्या। याचिकाकर्ताओं/आवेदकों ने इसका विरोध करने और यह तर्क देने के लिए कि उच्च वोल्टेज लाइन का भूमिगत होना कोई नया कदम नहीं है, बल्कि अन्य मामलों में किया गया है, बिजली पारेषण द्वारा जारी निविदा अधिसूचना का उल्लेख किया है

220 के. वी. पारेषण लाइन और एम. के. रंजीतसिंह और ओ. आर. एस. के लिए उत्तराखंड निगम लिमिटेड।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड द्वारा 220 केवी भूमिगत केबल के लिए जारी किया गया।

7. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने 220 की भूमिगत केबल पारेषण लाइन बिछाने के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों के निमंत्रण का भी उल्लेख किया है।

भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केवी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि 220 केवी बिजली लाइन का भूमिगत होना संभव है और भारत में किया जा रहा है। यह विशेष रूप से तर्क दिया जाता है कि कच्छ के खादिर क्षेत्र में ग्रेटर फ्लेमिंगो की सुरक्षा के लिए जीईटीसीओ द्वारा 10 किलोमीटर लंबी बिजली लाइनों को भूमिगत बनाया गया था। इस तरह के उदाहरण

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान द्वारा बिछाई जा रही भूमिगत बिजली लाइनों का भी उल्लेख किया गया है। प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री ऐश्वर्या भाटी और डॉ. मनीष सिंघवी ने हालांकि यह संकेत देना चाहा कि जिन उदाहरणों का उल्लेख किया गया है, जिनमें भूमिगत बिजली के लिए निविदा अधिसूचना जारी की गई थी

जिसे ऐसी केबल लाइन बिछाई जानी है जो सार्वभौमिक अनुप्रयोग की नहीं हो सकती है। 8. उस पृष्ठभूमि में, सतत विकास अवधारणा को ध्यान में रखते हुए और दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण को संतुलित करने पर

पक्षियों को अनिवार्य रूप से बनाया जाना है, प्रयास प्रत्येक पक्षी को बचाने के साथ-साथ एक उचित तरीके से बिजली के संचरण की अनुमति देना है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन/सर्वेक्षण के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में भूमिगत बिजली केबल बिछाना संभव नहीं होगा और पहले से मौजूद केबलों का रूपांतरण भी कुछ स्थानों पर नहीं किया जा सकता है। ऐसे स्थानों में, यह अनुशंसा की जाती है कि मौजूदा बिजली लाइनों पर 'बर्ड डाइवर्टर्स' लगाए जाएं और पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियों के आवास के आसपास जहां भी तकनीकी रूप से संभव हो, नई बिजली लाइन को भूमिगत किया जाए।

9. वन्यजीव संस्थान द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष इस आशय की दिनांकित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और रिपोर्ट का पैरा 4.2 इस प्रकार हैः

" 4.2 . डब्ल्यू. आई. आई. द्वारा पहचाने गए प्राथमिकता वाले बस्टर्ड आवासों से गुजरने वाली सभी बिजली संचरण लाइनों को भूमिगत केबलों (जहां तकनीकी रूप से/तकनीकी रूप से संभव हो) या पक्षियों के लिए प्रमुख बनाने के लिए पक्षी डायवर्टर्स स्थापित करके कम करें (कृपया अनुलग्नक 10 देखें)। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जहां इस हस्तक्षेप की आवश्यकता है, भारतीय वन्यजीव संस्थान और एक तकनीकी-सह-वित्तीय [2021] 4 एस. सी. आर. द्वारा मानचित्रित किया गया है।

शमन के लिए राजस्थान ऊर्जा विभाग से आवश्यक अनुमोदन के लिए आर. वी. पी. एन. एल. को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह कार्रवाई इसे अल्पावधि (1-3 वर्ष) में तेजी से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि बिजली लाइन से होने वाली मृत्यु दर वर्तमान में लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

प्रजातियाँ "।

10. टक्कर और करंट लगने से पक्षियों की मौत के अलावा, संरक्षण रणनीति में अंडों की सुरक्षा की भी आवश्यकता है

पक्षियों की उक्त प्रजातियों और उन्हें अंडे देने के उद्देश्य से प्रजनन केंद्रों में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस संबंध में, संरक्षण के लिए, निवास स्थान की बहाली और इसे शिकारी प्रतिरोधी बनाने के लिए, उचित बाड़ लगाना। प्रजनन स्थलों को प्रदान किया जाना है। इस संबंध में, प्राथमिकता और संभावित क्षेत्र का सचित्र प्रतिनिधित्व आई. ए. No.85618/2020 के अनुलग्नक ए-7 (पृष्ठ 74) में दर्शाया गया है जिसे नीचे भी दर्शाया गया है।

11. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, इस बात पर कोई असहमति नहीं हो सकती कि पक्षियों की उक्त प्रजातियों की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से, जहां तक मौजूदा ओवरहेड बिजली लाइनों का संबंध है, उत्तरदाता डायवर्ट स्थापित करने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे और मौजूदा ओवरहेड बिजली लाइनों के संबंध में संचरण लाइनों को स्थापित करने के भविष्य के सभी मामलों में लाइनों की व्यवहार्यता के संबंध में एक अध्ययन किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में जहां यह संभव है, पारेषण लाइन को भूमिगत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। भविष्य में बिछाई जाने वाली लाइनों के लिए यदि तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार अकेले ओवरहेड लाइन संभव है और समिति द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है, तो ऐसी स्थिति में डायवर्टर्स की स्थापना भी उत्पादन करने वाली कंपनियों के साथ किए जाने वाले अनुबंध में संलग्न एक शर्त होगी।

जहां तक, उक्त प्रक्रिया में होने वाली लागत का संबंध है, संबंधित

उत्तरदाता संख्या 5 से 8 और 9 से 11 काम करेंगे और इसके लिए प्रावधान करेंगे और उत्तरदाता संख्या 1 से 4 इस संबंध में सहायता करेंगे। उनके लिए कानून के अनुसार संसाधन जुटाना खुला रहेगा। ऐसे मामलों में जहां बिजली उत्पादकों को अतिरिक्त राशि वहन करने की आवश्यकता होती है उत्पादन की लागत के लिए, यह उस तरीके को विनियमित करने के लिए खुला होगा जिसमें अनुबंध की शर्तों के अनुसार लागत को कम किया जाएगा। लागत कारक चाहे जो भी हो, प्राथमिकता विलुप्त होने वाले पक्षियों को बचाने की होगी।

12. वास्तव में, बहस के दौरान कुछ सुझाव दिए गए थे कि वित्तीय संसाधनों को कैसे जुटाया जा सकता है। इनमें से एक

जिन विकल्पों का पता लगाया जा सकता है, वे हैं बिजली उत्पादन में लगी प्रत्येक बिजली उपयोगिता का ध्यान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की ओर आकर्षित करना, जो कंपनियों एम. के. रंजीतसिंह और ओ. आर. एस. पर निगमित सामाजिक जिम्मेदारी लगाती है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

एक निर्दिष्ट निवल मूल्य या कारोबार या शुद्ध लाभ होना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166 (2) कंपनी के निदेशक को न केवल कंपनी, उसके कर्मचारियों, शेयरधारकों और समुदाय के सर्वोत्तम हित में, बल्कि कंपनी के सदस्यों की सुरक्षा के लिए भी सद्भावना से कार्य करने का आदेश देती है।

पर्यावरण। "पर्यावरण" शब्द, हालांकि कंपनी अधिनियम में परिभाषित नहीं है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत इसका वही अर्थ दिया जाना चाहिए जो इसे दिया गया है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2 (ए) में "पर्यावरण" शब्द को परिभाषित किया गया है।

" जल, वायु और भूमि और मनुष्यों, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच और उनके बीच अंतर-संबंध।

इसके अलावा, प्रतिपूरक के कार्यान्वयन के साथ

वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (सी. ए. एफ., 2016), राष्ट्रीय और राज्य प्राधिकरणों के पास पर्याप्त धन उपलब्ध है। अधिनियम की धारा 4,5 और 6 वन्यजीवों के लिए खतरों को कम करने के उपायों के लिए निधि के उपयोग का प्रावधान करती है। राजस्थान राज्य ने पहले से ही 12.11.2009 पर एक प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) की स्थापना की है। इन नियमों के नियम 5 (2) (i) वन्यजीव आवास के सुधार के लिए राज्य निधि के उपयोग की अनुमति देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि

इन क्षेत्रों में रखे गए अंडों को संरक्षित किया जाता है। बिजली आपूर्ति लाइन जिसके संबंध में भूमिगत मार्ग बनाया जाना है, इन क्षेत्रों से भी बचना चाहिए। 14. मामले के इस पहलू पर आग्रह किए गए विवादों के आलोक में, हम इस बात से अवगत हैं कि भूमिगत बिजली लाइन बिछाना, विशेष रूप से उच्च-वोल्टेज, हालांकि असंभव नहीं है, इसके लिए मामले-दर-मामले के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन की आवश्यकता होगी और एक समान विधि निर्धारित करने के लिए सर्वव्यापी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है और तथ्य स्थिति की परवाह किए बिना निर्देश जारी नहीं किए जा सकते हैं। यद्यपि यही स्थिति है, सर्वसम्मति यह होगी कि सभी कम वोल्टेज वाली बिजली लाइनों को प्राथमिकता और जी. आई. बी. के संभावित आवासों में बिछाया जाना है, भविष्य में सभी मामलों में भूमिगत किया जाएगा। वर्तमान में जी. आई. बी. की प्राथमिकता और संभावित आवासों में मौजूद कम वोल्टेज वाली ओवरहेड बिजली लाइनों के संबंध में, उन्हें भूमिगत बिजली लाइनों में परिवर्तित किया जाएगा। [2021] 4 एस. सी. में उच्च-वोल्टेज बिजली लाइनों के संबंध में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जी. आई. बी. की प्राथमिकता और संभावित आवास, विशेष रूप से आई. ए. No.85618/2020 के प्रार्थना स्तंभ में संदर्भित पावरली और संकेत दिया कि इस क्रम के परिचालन भाग को अंडरग्रू बिजली लाइन में परिवर्तित किया जाएगा। कच्छ और थार में संभावित और प्राथमिकता वाला क्षेत्र नीचे दिखाए गए रेखाचित्र के अनुसार हैः

भूमिगत बिजली लाइन बिछाने पर विचार करते हुए एस

आवासों को परिप्रेक्ष्य में रखा जाएगा और उक्त आवास में जी. आई. बी. की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे।

अनुलग्नक ए

08 3800 ई.

एक डॉक

69 300 ° ई.

भारत

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लैंडस्केप, कच्छ

गुजरात

नं. 0

एन. 0.0। ईज़ेड

एल.

10 20

40 किमी.

मांडवी

भारत की सीमा

प्राथमिकता वाला क्षेत्र जहाँ सभी बिजली लाइनों को भूमिगत/अस्वीकृत किया जाना है

संभावित क्षेत्र जहाँ उचित शमन उपायों के साथ बिजली की तारें बिछाई जा सकती हैं (बर्ड डाइवर्टर्स) 8: 30 DE

6700 ई.

693008

// सच्ची प्रतिलिपि//

80

आई 'यूआईई

तू अपना है।

7100 ई.

72 08

73

401 के

74 ड्यू

भारत

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लैंडस्केप। थार

एनडीडी

28.00 एन.

वह

राजस्थान

एनडीओ

27-00 एन.

एलई

जोधपुर

एन D.O.92

26'00 एन.

कारमर

पीओ

55

110

220 किमी.

X 90.58 भारत सीमा

.0.0. एसटी *

प्राथमिकता वाला क्षेत्र जहाँ सभी बिजली लाइनों को भूमिगत/अस्वीकृत किया जाना है संभावित क्षेत्र जहाँ उचित शमन उपायों के साथ बिजली की तारें बिछाई जा सकती हैं (बर्ड डाइवर्टर्स)

69'0'0 ° ई.

70 00 ई.

थाड

7200 ई.

73

002

74'00 €

/ तंबू पैर! !

एम. के. रंजीतसिंह और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

15. जैसा कि पहले ही ऊपर ध्यान दिया गया है, उच्च वोल्टेज बिछाना

भूमिगत बिजली लाइन की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। सभी तकनीकी विवरणों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्यता का आकलन करने के इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए, हम इसे उचित मानते हैं -

एक समिति का गठन करें जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंः

((i)

डॉ. राहुल रावत,

वैज्ञानिक,

कमरा No.021, ब्लॉक-14,

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय,

सी. जी. ओ. परिसर, लोदी रोड,

नई दिल्ली।

((ख)

डॉ. सुतीर्थ दत्ता,

वैज्ञानिक,

भारतीय वन्यजीव संस्थान,

देहरादून।

डॉ. देवेश गढ़वी,

(iii)

उप निदेशक,

कॉर्बेट फाउंडेशन।

उपरोक्त समिति आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकती है।

अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए बिजली आपूर्ति के क्षेत्र के विशेषज्ञों से। भारत सरकार समिति को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

16. स्थापना के लिए कच्छ से बिजली लाइनों का विवरण

पक्षी डायवर्टर्स इस प्रकार हैंः

क्षमता

क) स्थापित करने के लिए कच्छ से बिजली लाइनों की सूची

डायवर्टर्स

1) कुकदाऊ से विंगबेर (8.86 कि. मी.)

अ

ज्ञात

2) विंगबेर से लाला (4.84 कि. मी.)

अ

ज्ञात

3) राजमार्ग एन. एच.-41 के पास कृषि क्षेत्र (0.53 कि. मी.)

अ

ज्ञात

4) राजमार्ग एन. एच.-41 के पास कृषि क्षेत्र (0.86 कि. मी.)

अ

ज्ञात

अ

ज्ञात

5) खिरसरा गाँव से खोटारा शहर (3.4 किमी)

6) सड़क के किनारे प्रजाऊ सबस्टेशन से प्रजाऊ गाँव (2.81)

अ

ज्ञात

किमी)

7) भामेदी का हिस्सा नलिया तक (4.4 कि. मी.)

अ

ज्ञात

8) फुलय वन्ध से नलिया-जाखाऊ रोड का हिस्सा (10.9 कि. मी.)

अ

ज्ञात

9) कोठारा नालिया लाइन का हिस्सा (9 कि. मी.)

अ

ज्ञात

10) कोठारा-नलिया लाइन का हिस्सा (6.9 कि. मी.)

अ

ज्ञात

11) वंकू से फुलय वंध का हिस्सा (6.25 कि. मी.)

डायवर्टर्स की स्थापना के लिए बिजली लाइनों का विवरण

राजस्थान इस प्रकार हैः

क्षमता

ए) डायवर्टर्स की स्थापना के लिए बिजली लाइनों की सूची

राजस्थान से

1) जैसलमेर-रामगढ़-1 (40 किमी)

13

2 केवी

2) जैसलमेर-रामगढ़-2 (40 किमी)

13

2 केवी

3) अस्कंद्र (पोकरान से अस्कंद्र) (30 कि. मी.)

13

2 केवी

4) अस्कंद्र (पोकरान से अस्कंद्र) (20 कि. मी.)

13

2 केवी

5) अमरसागर-रामगढ़ (40 कि. मी.)

22

0 केवी

6) अमरसागर-लिलो (8 किलोमीटर)

22

0 केवी

7) अमरसागर-फलोदी (54 किमी)

22

0 केवी

8) अमरसागर-फलोदी (71 किमी)

22

0 केवी

9) रामगढ़ देचू (49 कि. मी.)

22

0 केवी

10) रामगढ़ देचू (43 कि. मी.)

22

0 केवी

11) रामगढ़ देचू (50 किमी)

22

0 केवी

12) अकाई-रामगढ़ (55 किमी)

40

0 केवी

13) तेजुवा-कुचड़ी (138 कि. मी.)

33

केवी

14) कालादोंगर (70 कि. मी.)

33

केवी

15) मोकला-हाबुर-सानू (301 कि. मी.)

33

केवी

16) तेजुवा-कुचड़ी (25 कि. मी.)

13

2 केवी

17) कालाडोंगर (47 कि. मी.)

13

2/220 केवी

18) मोकला-हाबुर-सानू (43 कि. मी.)

13

2/220 केवी

19) चंदन वाया भागू का गाँव से मोहनगढ़ (70 कि. मी.)

33

केवी

20) अमरसागर-रामगढ़ (40 कि. मी.)

22

0 केवी

21) अमरसागर-लुडरवा (4 कि. मी.)

33

केवी

भूमिगत में परिवर्तित की जाने वाली बिजली लाइनों का विवरण

व्यवहार्यता के अधीन, यदि नहीं, तो तुरंत डायवर्टर्स स्थापित करने के लिए;

कच्छ से लाइनें

क) भूमिगतकरण के लिए कच्छ से बिजली लाइनों की सूची

क्षमता

1) 220 प्रजनन स्थल के बगल में केवी जीईटीसीओ लाइन 13 केबल (3,19)

22

0 केवी

किमी)

2) भचुण्डा जी. आई. बी. निवास स्थान से संधव नदी रेखा (2 किमी)

अ

ज्ञात

3) भानाडा से वलराम सोसायटी (6.1 किलोमीटर)

66

केवी

4) जीईटीसीओ सबस्टेशन से धनवाड़ा-नानवाड़ा (9.81 कि. मी.)

अ

ज्ञात

5) गेटको सबस्टेशन से कोठारा-मोथला रोड (9.69 कि. मी.)

अ

ज्ञात
अज्ञात

6) जखाऊ से प्रजाऊ रोड सबस्टेशन (10 कि. मी.)
7) जखाऊ से सिंधोड़ी (8.39 कि. मी.)

अ

ज्ञात

8) जखाऊ से सिंधोड़ी (8.53 कि. मी.)

अ

ज्ञात

9) जखाऊ से सिंधोड़ी (8.7 किलोमीटर)

अ

ज्ञात

10) जखाऊ-वांकू रोड से प्रजाऊ रोड सबस्टेशन (3.43 कि. मी.)

अ

ज्ञात

11) कलातालव खिरसरा रोड (9 किमी)

अ

ज्ञात

12) खिरसरा कोठारा (8.20 किलोमीटर)

अ

ज्ञात

13) खिरसरा से कोठारा नदी बंजर भूमि (2.24 कि. मी.)

अ

ज्ञात

14) कुनाथिया गेटको से बिट्टा और अदानी सोलर के आसपास (6.65)

22

0 केवी

66

केवी

15) कुनथिया गेटको से तेरा (7.32 कि. मी.)
16) कुनाथिया गेटको रवा की ओर (3.34 कि. मी.)

66

केवी

17) लाला से जखौ (11.6 कि. मी.)

अज्ञात एम. के. रंजीतसिंह और ओआरएस। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

1) खोरसरा के पास लाइन (2.7 कि. मी.)

अज्ञात

2) लाला गाँव के पास लाइन (1.4 किमी)

अज्ञात

3) नलिया-कोठारा रोड (6.58 किलोमीटर)

अज्ञात

4) नलिया-कोठारा राजमार्ग (15 किमी)

अज्ञात

5) नलिया-कोठारा राजमार्ग लाइन (15.7 किमी)

अज्ञात

6) नलिया-कोठारा रोड से प्रजाऊ (9 कि. मी.)

अज्ञात

7) नलिया-कोठारा रोड से वांकू-लाला रोड (10.8 कि. मी.)

66 केवी
अज्ञात

8) प्रजाऊ रोड (5.57 किलोमीटर)
9) प्रजाऊ से नलिया-जखाऊ रोड

अज्ञात

10) नालिया घास के मैदानों से गुजरने वाली प्रजाऊ रोड लाइन

अज्ञात

(4.43 किमी)

11) प्रजाऊ रोड सबस्टेशन से नलिया-कोठारा रोड

अज्ञात

सबस्टेशन

12) प्रजाऊ गाँव से प्रजाऊ रोड (5.82 कि. मी.)

अज्ञात

13) भामेदी का हिस्सा नलिया-जखाऊ रोड (819 कि. मी.)

अज्ञात

14) फुलय वन्ध से नलिया-जाखाऊ राजमार्ग का हिस्सा (8.27)

अज्ञात

किमी)

15) कोठारा का हिस्सा-नलिया (8.82 कि. मी.)

अज्ञात

16) कोठारा-नलिया लाइन का हिस्सा (9.36 कि. मी.)

अज्ञात

17) वंकू से फुलय वंध लाइन का हिस्सा (1 कि. मी.)

अज्ञात

18) खिरसरा से राजमार्ग नदी बंजर भूमि (1.5 किमी)

अज्ञात

19) कृषि फार्मों के माध्यम से कुनाथिया गेटको से भानाडा गाँव

66 केवी

(12.1 किमी)

राजस्थान से लाइनें

ख)

भूमिगतकरण के लिए राजस्थान से बिजली लाइनों की सूची

क्षमता

कनोई-सालखा (21 कि. मी.)

1)

33 केवी

सैम-धनाना (45 कि. मी.)

33 केवी

2)

तेजुवा-कुचर (17 किमी)

3)

33 केवी

खुचेरी क्षैतिज-समानांतर (21 कि. मी.)

4)

33 केवी

17. उत्तरदाता संख्या 5,6 और 9 से 11 को रखने की व्यवस्था करते हुए

बिजली लाइनों के संबंध में भूमिगत बिजली लाइन, जिनकी व्यवहार्यता में कोई संदेह नहीं है, तुरंत काम के साथ आगे बढ़ेंगी। हालांकि,

ऐसे मामलों में जहां उत्तरदाताओं को लगता है कि संबंधित मुद्दे हैं

व्यवहार्यता, मामले को सभी प्रासंगिक सामग्री और विवरणों के साथ समिति को भेजा जाएगा। समिति मामले का आकलन करेगी और इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि भूमिगत बिजली लाइन संभव है या नहीं। समिति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर प्रतिवादी द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

18. उन सभी मामलों में जहां आज के रूप में ओवरहेड बिजली की लाइनें मौजूद हैं

प्राथमिकता और संभावित जी. आई. बी. क्षेत्र में उत्तरदाता ओवरहेड केबलों को भूमिगत बिजली लाइनों में बदलने पर विचार किए जाने तक डायवर्टर्स स्थापित करने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे। ऐसे सभी मामलों में जहां [2021] 4 एस. सी. आर.

ओवरहेड केबलों को भूमिगत बिजली लाइनों में परिवर्तित करना संभव पाया जाता है, इसे एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा और तब तक डायवर्टर्स को मौजूदा बिजली लाइनों से लटका दिया जाएगा।

19. तदनुसार आदेश दिया।

नि

र्देश जारी किए गए।

निधि जैन